प्रेस नोट
दिनांक 12.01.2025

परिवार परामर्श केन्द्र में 01 जोड़ा एक साथ रहने को हुआ राजीः-

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित परिवार परामर्श केन्द्र में पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में परामर्शदाताओं द्वारा बिछुडे जोड़ो की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया तथा 01 जोड़े को समझा बुझाकर सुखी जीवन जीने हेतु राजी कर लिया गया।

परिवार परामर्श केन्द्र में उपस्थिति सदस्यगण-
श्री गंगाधर शुक्ला, श्री शाशी कुमार भारती, श्री संतोष ओझा, श्री यशोदानन्दन त्रिपाठी, श्रीमती अनीता श्रीवास्तव, श्रीमती राधारानी मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक महिला थाना श्रीमती प्रतिभा सिंह, उ0नि0 प्रिंयका सिंह, म0का0 नेहा सिंह, म0का0 सोनिका गौतम आदि मौजूद रही।

मीडिया सेल, गोंडा।

प्रेस नोट
दिनांक 12.01.2025, थाना धानेपुर,
जनपद गोण्डा।

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा मोबाइल फोन चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 03 अदद मोबाइल फोन बरामद-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में गठित थाना धानेपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 344/2024, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आया आरोपी अभियुक्त कमलेश वर्मा पुत्र स्व0 हरीराम वर्मा निवासी ग्राम निसारूपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को इटावा तिराहे की तरफ से आने वाली रोड़ से गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी का 03 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी श्री प्रदीप कुमार पुत्र स्व0 रामशब्द निवासी उत्तरी शुकुलपुर थाना धानेपुर गोण्डा द्वारा थाना धानेपुर पर लिखित सूचना दी कि दिनांक 25/26.12.2024 की रात्रि मोबाइल फोन चार्जिंज में लगा कर सो रहा था कि वहाँ से 03 मोबाइल फोन किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। तहरीर के आधार पर थाना धानेपुर में मु0अ0सं0- 344/2024, धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया । आज दिनांक 12.01.2025 को थाना धानेपुर पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान इलेक्ट्रानिक/मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त अभियुक्त कमलेश वर्मा पुत्र स्व0 हरीराम वर्मा निवासी ग्राम निसारूपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को इटावा तिराहे की तरफ से आने वाली रोड़ से गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी का 03 अदद मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. कमलेश वर्मा पुत्र स्व0 हरीराम वर्मा निवासी निसारूपुर थाना इटियाथोक, जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग

01. मु0अ0सं0- 344/2024, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना धानेपुर, जनपद- गोण्डा

बरामदगी-

01. चोरी का 03 अदद मोबाइल फोन अलग अलग कम्पनी का बरामद

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1. उ0नि0 श्री त्रिपुरारी मिश्रा
2. उ0नि0 श्री जयहिन्द
3. हे0का0 मानसिंह यादव
4. का0 सतीश कुमार
5. का0 सतेन्द्र पाण्डेय

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 12.01.2025, थाना नवाबंगज

जनपद गोण्डा।

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 120 नशीली गोली(अवैध मादक पदार्थ) बरामद-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अवैध मादक पदार्थ (120 गोली अल्प्राजोलम) के साथ अभियुक्त देवानन्द पुत्र विजय प्रताप उर्फ नौरंगी) निवासी ग्राम अशोकपुर थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा को अशोकपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 120 टैबलेट अल्प्राजोलम बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नवाबगंज में मु0अ0स0- 13/2025 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 12.01.2025 को थाना नवाबगंज के उ0नि0 दूधनाथ चतुर्वेदी मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि अशोकपुर पुलिया के पास अवैध मादक पदार्थ बेचने की सूचना प्राप्त हुआ। उक्त सूचना पर संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी की गयी तो उसके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ (120 टैबलेट अल्प्राजोलम) बरामद कर अभियुक्त देवानन्द पुत्र विजय प्रताप उर्फ नौरंगी) निवासी ग्राम अशोकपुर थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नवाबगंज में मु0अ0स0- 12/2025 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. देवानन्द पुत्र विजय प्रताप उर्फ नौरंगी) निवासी ग्राम अशोकपुर थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 13/2025 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 120 अल्प्राजोलम टैबलेट(अवैध मादक पदार्थ) बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 दूधनाथ चतुर्वेदी
02. उ0नि0 अमर पटेल,
03. का0 अजीत यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।